

50

7

I 7402/2012



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 313424



Rashmi Vaj



Vinayak Agarwal

24/8/11

0.242.6

विक्रय - पत्र

- 1- भूमि का प्रकार - कृषि भूमि
- 2- ग्राम - नगरिया बहाव परगना व तहसील सदर शाहजहाँपुर।

Rashmi Vaj



Vinayak Agarwal



Col
Tender
13/10/2011

1380/1 दिनांक 29-06-12

पदाध्यक्ष का पत्र (संख्या) : पांच ध्वजार
श्री. विनायक अशोक उद. श्री. विष्णु कुमार अग्रवाल
का. का. अ. त. पुवाया सा. ६.
वस्तापत्र की संख्या : १२३
श्री. विनायक अशोक उद. श्री. विष्णु कुमार
का. का. अ. त. पुवाया सा. ६.
का. का. अ. त. पुवाया सा. ६.



Handwritten signature in blue ink.



Handwritten signature in blue ink.





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 313423

(2)

- 3- सम्पत्ति का विवरण- 69/0.084 में 0.042 हे० व गाटा संख्या 70/3.314 में प्रथम पक्ष के स्वामित्व की भूमि में से 0.686 हे० कुल 2 किता में से क्षेत्रफल 0.728 हेक्टेयर में से 1/3 भाग बय किया जा रहा है।
- 4- दर - 17,79,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर
- 5- विक्रीत क्षेत्रफल - 0.728 हेक्टेयर का 1/3 भाग अर्थात् 0.243 हे० बय किया जा रहा है।

Rashmi Vij



Vinayak Agarwal



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 313422

(3)

- 6- मापन की इकाई- हेक्टेयर
- 7- सडक की स्थिति- शाहजहाँपुर-पुवार्यो रोड के किनारे
- 8- प्रतिफल की धनराशि- 4,16,000/- रुपये
- 9- सम्पत्ति की मालियत - 4,39,000/- रुपये
- 10- विलेख पर अदा स्टाम्प शुल्क - 30,800/- रुपये
- 11- पक्षों की संख्या - विक्रेता - 01, क्रेता 01-पुरुष

Rashmi Singh



Vinayak Agarwal





उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 313421

(4)

श्रीमती रश्मि बिज पत्नी श्री हनी कुमार बिज निवासी मोहल्ला भारद्वाजी तहसील सदर जिला शाहजहाँपुर। - - प्रथम पक्ष

एवम्

विनीयक अग्रवाल पुत्र श्री विपिन कुमार अग्रवाल निवासी मोहल्ला कसभरा कस्बा व तहसील पुवार्यो जिला शाहजहाँपुर। - - - द्वितीय पक्ष

Rashmi vij



Vinayak Agarwal



भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

रु. 5000

पाँच हजार रुपये

Rs. 5000

FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

Z 313420

(5)

जो कि आराजी काश्त स्थित ग्राम नगरिया बहाव परगना व तहसील सदर जिला शाहजहाँपुर में है जिसका पूर्ण विवरण बैनामे के अन्त में अंकित है। जो सम्पत्ति गाटा संख्या 69 व 70 कुल क्षेत्रफल 3.398 हेक्टेयर भूमि प्रथम पक्ष ने बजरिये बैनामा इकरारी श्रीमती पुष्पा गुप्ता, रीता गुप्ता एवं योगिता गुप्ता से तारीखी 18-6-2010 दस्तावेज संख्या 8520 से कुल का 1/3 तथा बजरिये बैनामा तारीखी 4-2-2011 इकरारी पुष्पा गुप्ता, रीता गुप्ता एवं योगिता गुप्ता दस्तावेज संख्या 1143 से 1/6 अंश वशमूल गाटा संख्या 64 व 67 खरीदी थी और प्रथम पक्ष का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित हो चुका है। इस सम्पत्ति में से गाटा संख्या 69 में से 1/2 अंश अर्थात् 0.042 हेक्टेयर तथा गाटा संख्या 70 में अपने अंश में से 0.686 हेक्टेयर अर्थात् कुल दो किता क्षेत्रफल 0.728 हेक्टेयर में से 1/3 अंश का विक्रय प्रथम पक्ष को किया जा रहा है। जिस सम्पत्ति पर प्रथम पक्ष काबिज व दखील चले आ रहे हैं और प्रथम पक्ष को अपनी उपरोक्त सम्पत्ति को विक्रय करने आदि के पूर्ण मालिकाना अधिकार प्राप्त है।

Rashmi Vsj

Vinayak Agarwal



Z 313411

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

(6)

अतः प्रथम पक्ष ने उक्त वर्णित सम्पत्ति में से अपने अंश की शेष भूमि में से उपरोक्तानुसार 0.728 हेक्टेयर भूमि का 1/3 अंश को बिना किसी जोर व दबाव के स्वस्थ मस्तिष्क, सचेत व संज्ञान इन्द्रियों की अवस्था में अंकन रुपये 4,16,000/- (चार लाख सोलह हजार रुपये) जिसके आधे मुवलिंग 2,08,000/- (दो लाख आठ हजार रुपये) होते हैं, में बदस्त द्वितीय पक्ष विक्रय कर दी और समस्त प्रतिफल निम्न विवरण अनुसार द्वितीय पक्ष से प्राप्त कर विक्रीत आराजी काशत पर कब्जा व दखल देकर प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को अपने समान पूर्ण रूप से मालिक व काविज व दखील करा दिया। अब प्रथम पक्ष का उक्त आराजी काशत से कोई वास्ता या ताल्लुक नहीं

Rashmi Wj.



Vinayak Agarwal



भारतीय गैर न्यायिक
भारत INDIA

रु. 500

FIVE HUNDRED
RUPEES



सत्यमेव जयते

Rs. 500

INDIA NON JUDICIAL

को-75
कोषागार
काशीपुर
15 MAY 1977
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH
उदिक कोषाधिकारी
S.T.O.

M 872841

(7)

रहा। क्रेता अपने नाम पर दाखिल खारिज राजस्व अभिलेखों में करा लेवे इसमें प्रथम पक्ष या उसके वारिसान को कोई आपत्ति नहीं होगी। यदि प्रथम पक्ष की स्वामित्व की किसी कमी (Defect of title) के कारण विक्रीत सम्पत्ति द्वितीय पक्ष के कब्जा व दखल से निकल जावे या उसको कब्जा न मिले तो द्वितीय पक्ष को पूर्ण हक होगा कि वह समस्त विक्रय धनराशि मय हर्जा खर्चा व अन्य नुकसान सहित प्रथम पक्ष की जात व जायदाद से वसूल कर लेवे इसमें प्रथम पक्ष या उसके वारिसान को कोई आपत्ति नहीं होगी ।

Rashmi Singh



Vinayak Agarwal



भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

रु. 100



सत्यमेव जयते

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AZ 842385

(8)

विकीत भूमि शाहजहाँपुर-पुवार्यौ रोड के किनारे स्थित है जो कृषि भूमि है और मौके पर कृषि कार्य हो रहा है। ग्राम नगरिया बहाव में सड़क किनारे स्थित कृषि भूमि की दरें 17,79,000/- रुपये प्रति हेक्टेयर निर्धारित हैं जिस अनुसार कुल भूमि 0.728 हेक्टेयर का मूल्यांकन 12,95,112/- रुपये तथा बोरिंग का मूल्यांकन 20,000/- रुपये कुल 13,15,112/- रुपये होता है जिसमें विकीत 1/3 अंश का मूल्यांकन 4,38,371/- अर्थात् 4,39,000/- रुपये होता है। जिस पर पुरुष क्रेता होने के आधार पर 30,800/- रुपये का देय स्टाम्प शुल्क नियमानुसार अदा किया जा रहा है ।

Rashmi Vij

Vinayak Agarwal



भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100



सत्यमेव जयते

ONE
HUNDRED RUPEES

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AZ 842384

(9)

विवरण प्रतिफल

समस्त प्रतिफल 4,16,000/- (चार लाख सोलह हजार रुपये) द्वितीय पक्ष द्वारा प्रथम पक्ष को निम्न अनुसार अदा किया जा

रहा है :- चेक नं० 011302 दिनांक 05-07-2012 कास्ट रु० 4,16,000/-
जारीकर्ता बैंक एच.डी. एम. सी. बैंक शाखा फुवायां, शाहजहाँपुर

Rashmi Vij

Vinayak Agarwal

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये

Rs. 100

₹. 100

ONE
HUNDRED RUPEES



सत्यमेव जयते

भारत INDIA
INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AZ 842383

(10)

अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया कि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवे ।

Rashmi Vj



Vinayak Agarwal



प्रथम पक्ष

गवाह 1- विपिन कुमार अग्रवाल पुत्र श्री ओमप्रकाश अग्रवाल

नि०मो० कसभरा कस्बा पुवायां शाहजहाँपुर ।

2- रचित अग्रवाल पुत्र श्री विपिन कुमार अग्रवाल

नि०मो० कसभरा कस्बा पुवायां शाहजहाँपुर ।

टाइपद्वारा - इन्द्रधनुष कम्प्यूटर्स गोविन्दगंज शाहजहाँपुर

मसविदा द्वारा - राजकुमार मिश्र एडवोकेट शाहजहाँपुर ।

तहरीर तारीख- 30-06-2012 (तीस जून सन् दो हजार बारह ईस्वी)


द्वितीय पक्ष

Vipin Kumar Agarwal

Rachit Agarwal

नक्शा नजरी

कृषि भूमि स्थित ग्राम नगरिया बहाव परगना व तहसील सदर
जिला- शाहजहाँपुर



प्रथम पक्ष

Rashmi Vij



द्वितीय पक्ष

Vinayak Agarwal



फोटोग्राफ

विक्रीत सम्पत्ति स्थित ग्राम नगरिया बहाव
परगना व तहसील सदर जिला- शाहजहाँपुर



प्रथम पक्ष

Rashmi Vij



द्वितीय पक्ष

Vinayak Agarwal



आज दिनांक 02/07/2012 को

वही सं. 1 जिल्द सं. 7621

पृष्ठ सं. 305 से 328 पर क्रमांक 7402

रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

आर.के.श्रीवास्तव

उप निबंधक सदर

शाहजहाँपुर

2/7/2012



in the court of the (S) SP4

Ce No. 652/2012

Sh. Magan Lal Shree

Vinay Kumar Singh

Dated 13/07/2012

